न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 30/2018

1 श्रीमती भंवर कंवर पत्नी गोपाल सिंह।
2 श्रीमती किरण कंवर पुत्री गोपाल सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बोसाणा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती दाखा कंवर पुत्री भूरसिंह पत्नी चिमन सिंह जाति राजपूत निवासी बोसाणा तहसील धोद जिला सीकर मृतक व उसके वारिसान।
1/1 लिछमण सिंह पुत्र दाखा कंवर।
1/2 सुगन सिंह पुत्र दाखा कंवर।
1/3 नानू सिंह पुत्र दाखा कंवर।
1/4 भंवर कंवर पुत्री दाखा कंवर।
1/5 भागीरथ सिंह पुत्र भंवर सिंह पुत्र दाखा कंवर।
1/6 सायर कंवर पत्नी भंवर सिंह पुत्र दाखा कंवर।
1/7 पेप सिंह पुत्र भंवर सिंह पुत्र दाखा कंवर।
1/8 सुरजन सिंह पुत्र भंवर सिंह पुत्र दाखा कंवर।
1/9 महेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह पुत्र दाखा कंवर।
1/10 सरोज कंवर पुत्री भंवर सिंह पुत्र दाखा कंवर।
1/11 संतोष कंवर पुत्री भंवर सिंह पुत्र दाखा कंवर।
1/12 बुगल कंवर पुत्री भंवर सिंह पुत्री दाखा कंवर समस्त जाति राजपूत निवासीगण मिगसरिया तहसील डूगंरगढ़ जिला बीकानेर।
2 किशोर सिंह पुत्र डालसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 गोरधन सिंह पुत्र डालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बोसाणा तहसील धोद जिला सीकर।
4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा लोसल जरिये प्रबन्धक।
5 पटवारी हल्का बोसाणा तहसील धोद जिला सीकर।
6 उप पंजियक धोद जिला सीकर।
7 तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व दिनांक 22.02.2018 राजस्व
वाद संख्या 70/2014 उनवानी श्रीमती दाखा कंवर
बनाम किशोर सिंह आदि में सुश्री भावना गर्ग आर.ए.एस.
द्वारा पारित फरमाया गया है अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(बी)
सपठित धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :

1. श्री कन्हैयालाल वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 05/2/24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 70/2012 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम बोसाणा पटवार हल्का क्षेत्र धोद भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धोद जिला सीकर की तन में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 9.56 हैक्टेयर है जिसके पुराने खसरा नम्बर 57 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 58 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा अवस्थित है, जिसका पूर्व में रिकार्डेड खातेदार वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के दादा, दादेर ससुर पड़दादा स्व. भूरसिंह थे। वाद कि मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियां वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अविभाजित पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें वादिया का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/2 हक हिस्सा है। इसी प्रकार वादिया पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों में स्व. भूरसिंह की सम्पूर्ण कृषि भूमि में से 1/2 हिस्से पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। वाद के पैरा संख्या 3 में अंकित वंशावली अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवाद के सदस्य है। विवादित कृषि भूमि में वादिया का 1/2 हिस्सा है, जिसका स्पष्ट प्रमाण खातौनी जमाबंदी संवत 1998 भूरसिंह वल्द झुझार सिंह वादिया के पिता के नाम दर्ज है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वज स्व0 डालसिंह ने राजस्व ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम सम्पूर्ण कृषि भूमियां करवा ली, जिसे दुरूस्त करवाया जाकर विवादित भूमि में वादिया को उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि मे 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर बाद सुनवाई विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दिनांक 20.12.2017 की आदेशिका में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4/अपीलांट द्वारा जवाब दावा पेश नही किया गया है पूर्व में अंतिम अवसर दिया जा चुका है। अत जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी पेश हो। इसके उपरान्त दिनांक 25.01.2018 को आदेशिका में अंकन है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री अनुराग नारायण माथुर एवं खुर्रम नवाब ने वकालतनामा प्रस्तुत किया साथ ही आवेदन बाबत खोले जाने जवाब प्रस्तुत किया। नकल वादी वकील को दिलाई जाकर पत्रावली वास्ते जवाब आवेदन/बहस आयन्दा नियत की गई। स्पष्ट है कि दिनांक 25.01.2018 को विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट की किसी प्रकार की बहस नही सुनी गई है। इसके उपरान्त दिनांक 14.02.2018 को आदेशिका में विचारण न्यायालय ने अपीलांट का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का आवेदन खारिज किया है एवं यह अंकित किया है कि पत्रावली में साक्ष्य होकर दिनांक 25.01.2018 को अन्तिम बहस सुनी जा चुकी है। इसके उपरान्त पत्रावली दिनांक 22.02.2018 को आदेश हेतु नियत कर दिनांक 22.02.2018 को विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय परस्पर विरोधाभाषी एवं विधिक प्रकिया की विपरित होने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को जवाब दावा प्रस्तुत करने, तनकी कायम करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई कार्यवाही नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को समुचित अवसर प्रदान किया गया था।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इकबाली जवाब दावे के आधार पर पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दिनांक 20.12.2017 की आदेशिका में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4/अपीलांट द्वारा जवाब दावा पेश नही किया गया है पूर्व में अंतिम अवसर दिया जा चुका है। अत जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी पेश हो। इसके उपरान्त दिनांक 25.01.2018 को आदेशिका में अंकन है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री अनुराग नारायण माथुर एवं खुर्रम नवाब ने वकालतनामा प्रस्तुत किया साथ ही आवेदन बाबत खोले जाने जवाब प्रस्तुत किया। नकल वादी वकील को दिलाई जाकर पत्रावली वास्ते जवाब आवेदन/बहस आयन्दा नियत की गई। स्पष्ट है कि दिनांक 25.01.2018 को विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट की किसी प्रकार की बहस नही सुनी गई है। इसके उपरान्त दिनांक 14.02.2018 को आदेशिका में विचारण न्यायालय ने अपीलांट का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का आवेदन खारिज किया है एवं यह अंकित किया है कि पत्रावली में साक्ष्य होकर दिनांक 25.01.2018 को अन्तिम बहस सुनी जा चुकी है। इसके उपरान्त पत्रावली दिनांक 22.02.2018 को आदेश हेतु नियत कर दिनांक 22.02.2018 को विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय परस्पर विरोधाभाषी एवं विधिक प्रकिया की विपरित होने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को जवाब दावा प्रस्तुत करने, तनकी कायम करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई कार्यवाही नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब देही का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया अनुसार बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5/2/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर